झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
द्वादश(बजट)-सत्र
वर्ग-04

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, गुरुवार, दिनांकः- 28 पौष, 1939 (श0) / 18 जनवरी, 2018 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(01)	अ0सू0-08	श्री सुखदेव भगत	पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई।	ऊर्जा	10.01.18
(02)	अ0सू0-09	श्री बिरंची नारायण	पवन ऊर्जा का निर्माण।	ऊर्जा	11.01.18
(03)	अ0सू0-07	श्री अरुप चटर्जी	अनियमितता के विरुद्ध कार्रवाई।	ऊर्जा	09.01.18
(04)	अ0सू0-02	श्री आलमगीर आलम	वृद्धा पेंशन देना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	08.01.18
(05)	अ0सू0-10	प्रो0स्टीफन मराण्डी	अस्तित्व की रक्षा।	कल्याण	13.01.18
(06)	अ0सू0-13	श्री अमित कुमार	एकरारनामा को रद्द करना।	ऊर्जा	13.01.18
(07)	अ0सू0-06	श्री योगेश्वर महतो	आवास योजना का लाभ दिलाना।	कल्याण	09.01.18
(08)	अ0सू0-04	श्रीमती गीता कोड़ा	आँगनबाड़ी केन्द्र को सुदृढ़ करना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	08.01.18
(09)	अ0सू0-01	डा0 इरफान अंसारी	राशियों का उपयोग।	कल्याण	08.01.18
(10)	अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	योजना की जानकारी देना।	ऊर्जा	08.01.18

कृ0पृ0उ0----

* कल्याण विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानान्तरित।

01	02	03	04	05	06
20(5) (11)-अ0सू0-11	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	मकान पर सूचीपट लगाना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	13.01.18	

रॉंची
दिनांकः-18 जनवरी,2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-......656......./वि0स0,राँची,दिनांकः-..........16.01..2018 ई0।

प्रतिलिपि :-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/1/18
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-......656......./वि0स0,राँची,दिनांकः-..........16.01..2018 ई0।

प्रतिलिपि :-अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/1/18
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-प्रश्न-01/2018-......656......./वि0स0,राँची,दिनांकः-..........16.01.2018 ई0।

प्रतिलिपि :-कार्यवाही शाखा,वेबसाईड शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 16/1/18
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

(हस्ताक्षर) 15/01/18

मंगल

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-08 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुखदेव भगत, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि बिजली उपकरण इंसुलेटर जिसका बाजार में कीमत लगभग 200/- रूपया है लेकिन अलग-अलग एरिया बोर्ड और सर्किल में इस मद से इंसुलेटर के लिए 400/- रूपया से लेकर अधिकतम् 1600/- रूपया तक का भुगतान हुआ है;		आंशिक स्वीकारात्मक। सभी क्रय एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग दर पर क्रय किये गये है। इस संबंध में दरों के अन्तर स्पष्ट करने हेतु निगम के आदेश से दिनांक-14.11.2017 को तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है एवं जांच जारी है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इंसुलेटर की खरीद में हुए घोटाले की जाँच एवं घोटाला करने वाले पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 145 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू–09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड एक पहाड़ों–पठारों वाला राज्य है, जहाँ तीव्र गति से हवाएँ भी चलती है।	आंशिक स्वीकारात्मक। पवन से ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन वेग मापी यंत्र के अधिष्ठापन के उपरान्त ही पता लगाया जा सकेगा कि पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु वायु तीव्रता उपयुक्त है या नहीं।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में पवन ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जाता है तथा केवल कोयले से ऊर्जा निर्माण, जल से ऊर्जा निर्माण और सौर ऊर्जा का ही निर्माण किया जाता ह।	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में झारखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में पवन चक्कियाँ स्थापित करवाकर पवन ऊर्जा के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक। जेडा द्वारा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई द्वारा जारी किये गये पवन एटलस के अनुसार राज्य में 50 मीटर तक की ऊँचाई पर पवन ऊर्जा की कोई संभावना नहीं है। 80 मीटर या उससे उपर की ऊँचाई का पवन चक्की अधिष्ठापित करने पर मात्र 91 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा का उत्पादन की संभावना बतायी गई है। उक्त के आलोक में राज्य कुछ एक स्थलों यथा पारसनाथ पहाड़ एवं झुमरा पहाड़ पर उपयुक्त स्थल मिलने पर पवन वेग मापी के लिए मॉनिटॉरिंग स्टेशन अधिष्ठापित करने पर अध्ययन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 165 /   दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(3)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे

जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू-07 का उत्तर प्रतिवेदन

	प्रश्नकर्त्ता श्री अरूप चटर्जी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा सोलर पावर उत्पादन और बिक्री हेतु ओपेन टेंडर के आधार पर कुल छ: कंपनियों को राज्य में सोलर प्लांट लगाने की स्वीकृति दिया गया है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित इन छ: निजी कंपनियाँ राज्य में सोलर पावर का उत्पादन कर सरकार को प्रति यूनिट 4.95 रूपये से लेकर 5.18 रूपये के दर पर बेचेगी जो राजस्थान सरकार के दर से तीन रूपये ज्यादा है तथा देश में सोलर पावर के वर्तमान दर से भी तीन रूपये ज्यादा ही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। दर के संबंध में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा सभी बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए वर्तमान वैधानिक स्थिति को देखते हुए तत्काल झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के RPO बाध्यताओं के अनुरूप आवश्यक सोलर परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के क्रय हेतु कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। अन्तर मंत्रालय समिति द्वारा Solar RPO के अन्तर्गत विद्युत क्रय एकरारनामा करने की अनुशंसा के आलोक में संबंधित सफल डेवलपर्स के द्वारा Solar RPO के अन्तर्गत विद्युत क्रय एकरारनामा करने हेतु उनके द्वारा समर्पित संशोधित सोलर संयंत्र की क्षमता एवं न्यूनतम औसतन दर रु0 4.96 के प्रस्ताव तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श के आलोक में सौर क्रय बाध्यता (Solar RPO) के अन्तर्गत सफल डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित कुल 684.5 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन एवं उनके द्वारा प्रस्तावित दर पर झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के साथ विद्युत क्रय एकरारनामा हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है। झारखण्ड में जो दर प्राप्त हुए हैं वह नॉन–सोलर पार्क के लिए है, जिसमें जमीन, संचरण लाईन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण डेवलपर द्वारा ही किया जाएगा, जबकि राजस्थान में प्राप्त दर, जो झारखण्ड से कम है, वे सोलर पार्क के लिए है, जिसमें जमीन, संचरण लाईन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित यह दर 'इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2013' आने के बाद नियामक आयोग को तय करना था परन्तु उक्त दर को तय करने में इसका अनदेखा किया गया तथा टेंडर के निरूपण में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश के आलोक में समझौता सिर्फ एक–एक कंपनी के साथ होनी चाहिए इसका भी अनदेखा किया गया जो नियम विरूद्ध है	अस्वीकारात्मक विद्युत नियामक आयोग को सोलर पावर के क्रय की प्रकिया में अनदेखा नहीं किया गया है। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये जेनरिक टैरिफ के आधार पर ही टैरिफ आधारित निविदा आमंत्रित किया गया था। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अनुसार टैरिफ आधारित निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति राज्य नियामक आयोग द्वारा किया जाना है, जिसके लिए आवेदन जेबा द्वारा विद्युत नियामक आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग द्वारा निविदा में प्राप्त दरों की विधिवत स्वीकृति के उपरान्त ही दर विद्युत क्रय के लिए मान्य होगा। अभीतक किसी कम्पनी के साथ विद्युत क्रय के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है तथा उक्त के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के किसी निर्देश का अवहेलना नहीं किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विशयों पर अविलम्ब कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा दरों की स्वीकृति के उपरान्त ही विद्युत क्रय एकरारनामा किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 134 / दिनांक 16-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 16/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक- 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं०-अ०स०-02 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्रम</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि प्रत्येक वर्ष राज्य के सभी जिलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी योग्य लाभुकों को वृद्धा-पैंशन उपलब्ध कराने के लिए सूची में नाम दर्ज करने का प्रावधान है ;</td><td>स्वीकारात्मक ।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है साहेबगंज एवं पाकुड़ जिला में पिछले तीन वर्षो में 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक भी योग्य लाभुक को वृद्धा-पैंशन उपलब्ध कराने के लिए सूची में नाम दर्ज नहीं किया गया है ;</td><td>अस्वीकारात्मक ।
साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत विगत तीन वर्षो में 60 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को वृद्धा पैंशन की स्वीकृति देते हुए भुगतान किया जा रहा है, जो निम्नवत है :
<table>
<tr><th>जिला</th><th>इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशनधारियों की संख्या</th><th>राज्य वृद्धावस्था पैंशनधारियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>साहेबगंज</td><td>11673</td><td>2056</td></tr>
<tr><td>पाकुड़</td><td>7135</td><td>2673</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी योग्य लाभुकों को वृद्धा-पैंशन उपलब्ध कराने के लिए सूची में नाम दर्ज कर प्रत्येक माह वृद्धा-पैंशन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, और नहीं तो क्यों ?</td><td>झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी योग्य लाभुकों को वृद्धावस्था पैंशन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तथा तदनुसार कार्रवाई भी कर रही है ।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक- 03/म०स०/वि०स०/ अल्प सूचित प्रश्न- 09/2018- 178 रांची,दिनांक- 17-01-18

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०-85/वि०स०, दिनांक- 08.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/01/2018

(लालू कच्छप)

सरकार के उप सचिव

प्रो० स्टीफन मरांण्डी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं० – अ०सू०–10 का उत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक– 20.11.2017 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित देश में 75 आदिम जनजातियों में आठ जनजातियाँ यथा असुर, बिरहोर, सबर बिरजिया, कोरवा, परहइया, मालपहाड़िया और सौरिया पहाड़िया झारखण्ड के विभिन्न इलाकों में निवास करती है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इनमें अधिकतर आदिम जनजातियाँ साक्षरता, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से वंचित रहने के कारण रोजगार की खोज में पलायन कर रहे हैं जिससे इनकी आबादी भी घटती जा रही है ;	वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, झारखण्ड के 8 PVTG (असुर,बिरहोर,सबर,बिरजिया,कोरवा,परहइया,माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया) की कुल आबादी 2,23,336 थी जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़ कर 2,92,359 हो गयी। इस तरह इनकी जनसंख्या में 30.9% की दशकीय वृद्धि हुई है। आदिम जनजातियों का कुल साक्षरता दर 39% है जो अनुसूचित जनजातियों के साक्षरता दर तथा राज्य के कुल साक्षरता दर से कम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, आवास, आजीविका, कौशल विकास, बुनियादि संरचना, कला एवं संस्कृति आदि को सुदृढ़ करने हेतु PVTG प्राधिकार का गठन किया गया है एवं अन्तर विभागीय समन्वय से इन विषयों पर विषयक कार्य किया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि इनकी महिलाओं में कुपोषण जनित होने के कारण मृत्युदर भी अधिक है ;	आदिम जनजाति के महिलाओं में कुपोषण जनित आकड़ों का आभाव है। परन्तु NFHS-4 (2015-16) के अनुसार झारखण्ड में 15–49 आयु वर्ग के लगभग 65.2% महिलाओं में खून की कमी है जिसमें NFHS-3(2005-06) के अनुसार 4.3% अंक की गिरावट आई है।
4.	क्या यह बात सही है कि इनकी मूल संस्कृति भी लुप्त होती जा रही है ;	अस्वीकारात्मक।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में 292357 आदिम जनजातियों के अस्तित्व की रक्षा का इरादा रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– 05/वि०स०अ०प्र० –01/18– 230 राँची, दिनांक– 17.01.18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक– 326, दिनांक– 13.01.2018 के प्रसंग में 200(दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.1.18

(एस० के० लाल)

6

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू–13 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि पड़ोसी राज्य बिहार में सौर ऊर्जा आधारित बिजली 2.95 रु0 प्रति यूनिट की दर से क्रय करती है ।		अस्वीकारात्मक। बिहार विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश संख्या 45/2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य द्वारा कुल 52.13 मिलियन यूनिट सोलर ऊर्जा क्रय किया गया है, जिसका दर रु0 4.47– से रु0 8.73 प्रति यूनिट है। वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित अभिलेख/सूचना उपलब्ध नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा बिजली क्रय हेतु 4.95 रु0 प्रति यूनिट की दर से निजी रिन्यू एजेंसियां एकरारनामा कर चुकी है।		अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के वार्षिक 7000 करोड़ रुपये के नुकसान से बचाने हेतु उक्त एकरारनामा को रद्द करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?		राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा बिजली क्रय हेतु 4.95 रु0 प्रति यूनिट की दर से निजी रिन्यू एजेंसियों एकरारनामा नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 164 / दिनांक 17-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

(8)

श्रीमती गीता कोड़ा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक– 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04 का उत्तर :–

क्र स	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य पोषण मिशन ने राज्य के 4 लाख कुपोषित बच्चों की जिन्दगी खतरे में बताते हुए ऑगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करने सहित कुपोषण उपचार केन्द्रों के अधिकतम सदुपयोग करने पर बल दिया था जिसपर गंभीरता अबतक नहीं दिख रही है;	अस्वीकारात्मक । राज्य पोषण मिशन के द्वारा राज्य में 4 लाख कुपोषित बच्चों की जिन्दगी खतरे में बताते हुए कोई सूचना प्रतिवेदित नहीं है । झारखण्ड राज्य में वर्ष 2016 के दौरान गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने का कार्य किया गया था। इस जाँच कार्य में कुल 22028 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाये गये हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विषय के आलोक में राज्य भर में कुल 87 एम0टी0सी0 का संचालन किया जा रहा है जो अति कुपोषित बच्चों की संख्या के लिहाज से अपर्याप्त है तथा जो है उनका भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य में कुल 87 कुपोषण उपचार केन्द्र (एम0टी0सी0) संचालित हैं, जिनमें कुल 931 बेड उपलब्ध हैं। वर्ष 2017 में उक्त 87 कुपोषण उपचार केन्द्रों में उपलब्ध बेड का लगभग 60 प्रतिशत उपयोग दर्ज किया गया है। इस दौरान बच्चों की उपचार दर 64 प्रतिशत रही है। इसके अतिरिक्त 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, जिससे अतिरिक्त 150 बेड उपलब्ध होंगे।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कुपोषित बच्चों में से सर्वाधिक 66.9 प्रतिशत बच्चे पश्चिमी सिंहभूम जिले से है तथा राज्यभर में इनकी प्रतिशत 47.8 है जो चिंता का विषय है;	आंशिक स्वीकारात्मक । पाँच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण के आकलन का एक मापदण्ड आयु के अनुसार बच्चों का कम वजन होना भी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–4 के अनुसार झारखण्ड राज्य में आयु के अनुरूप कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 47.8 है। पश्चिमी सिंहभूम में यह प्रतिशत 66.9 है।
4	क्या यह बात सही है कि राज्य भर में संचालित ऑगनबाड़ी केंद्रों की सुदृढ़ीकरण में कमी तथा कुपोषण उपचार केन्द्रों की नगन्य संख्या होने के कारण राज्यभर में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जो वर्ष 1975 में देशभर में शुरू की गई समेकित बाल विकास परियोजना की उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन रही है;	अस्वीकारात्मक । पाँच वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण का आकलन मुख्यतः तीन मापदण्डों यथाः (1) आयु के अनुरूप कम वजन, (2) आयु के अनुरूप कम ऊँचाई एवं (3) ऊँचाई के अनुरूप कम वजन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 (2005–06) से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (2015–16) के मध्य राज्य में इन तीनों मापदण्डों के अन्तर्गत बच्चों के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 1,2,3 एवं 4 में वर्णित विषय के आलोक में राज्यभर के ऑगनबाड़ी केन्द्रों को सुदृढ करने सहित कुपोषण उपचार केन्द्रों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी करते हुए इनकी सदुपयोग करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, और नहीं तो क्यो ?	क. खण्ड–2 में वर्णित तथ्य के अनुरूप राज्य में 15 नये कुपोषण उपचार केन्द्र आरम्भ किये जा रहे है। ख. अति गंभीर कुपोषित बच्चों को उपचारित करने के लिए राज्य के तीन जिलों यथाः पश्चिमी सिंहभूम, गुमला एवं बोकारो के पाँच प्रखण्डों यथाः चक्रधरपुर एवं खुँटपानी (प. सिंहभूम), गुमला सदर गुमला) एवं चन्दनक्यारी एवं चास (बोकरो) में उच्च ऊर्जा भोज्य पदार्थ (ई0डी0टी0एफ0) का प्रयोग करते हुए समुदाय आधारित अति गंभीर कुपोषण प्रबंधन (सी–मैम) कार्यक्रम प्रयोगिक तौर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का विस्तार पश्चिम सिंहभूम जिला के अन्य चार प्रखण्डों यथाः मनोहरपुर, नोआमुण्डी, जगन्नाथपुर एवं तोंतनगर में भी किया जा रहा है ।

		ग. राज्य के 12 जिलों की 19519 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आई0सी0डी0 एस0 सिस्टम्स स्टेनथनिंग एवं न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (निन्प) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आई0सी0 डी0एस0 सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। घ. निन्प के अन्तर्गत 6500 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सूचना एवं संचार प्रावैधिकी आधारित अनुश्रवण तंत्र से जोड़ा गया है। इसके अन्तर्गत 5500 अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। च. राज्य में ऐसे सभी कुपोषित बच्चों जिनका एम0यू0ए0सी0 11.5 से0मी0 से कम है को कुपोषण उपचार केन्द्र में भेजना सुनिश्चित करने के लिये जिलों को निर्देश दिये गये हैं।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/वि0स0/अल्प सूचित प्र0–10/2018 – 177 राँची, दिनांक : 17-01- 2018

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–86/वि0स0 दिनांक–08.01.2018 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/01/2018

(लालू कच्छप)
सरकार के उप सचिव।

डॉ इरफान अंसारी, स० वि० स० द्वारा दिनांक–18.01.18 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	माननीया मंत्री, कल्याण का उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि MSDP योजना के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वकांक्षी योजना चलायी जा रही है?	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पिछले तीन वर्षों में MSDP योजना के तहत राज्य के एक भी प्रखण्ड में एक भी योजना का सही क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है जिससे लाखों अल्पसंख्यक परिवार उक्त योजना के लाभ से वंचित है?	अस्वीकारात्मक। MSDP योजनान्तर्गत पूर्व स्वीकृत योजनाओं को पूर्ण करने हेतु द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 918.89 लाख, वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3069.335 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में अद्यतन 271.84 लाख रू० भारत सरकार द्वारा विमुक्त किया गया है जिसे क्रियान्वयन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु संबंधित जिलों को आवंटित करते हुए योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। MSDP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा 3953.37 लाख की योजनाएं स्वीकृत की गयी है जिससे संबंधित जिलों में योजना कार्यान्वयन की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में MSDP योजना के तहत MSDP जिलों का कुल 33355.17 रू० का योजना प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है जिसके तहत अद्यतन 4918.49 लाख रू० के योजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब एक्शन प्लान के तहत पिछले वर्षों के MSDP योजना के पिछले सभी राशियों का उपयोग करने हेतु पहल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कण्डिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:– 08/वि०स०प्र०–01/18 235 राँची, दिनांक:– 17.01.18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –84, दिनांक:– 08.01.2018 के प्रसंग में दो सौ (200) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.18
(एस०के०लोल)
सरकार के उप सचिव।

G:\Vidhan Sabha Question.Docx

(10)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.2018 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-03 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री राधाकृष्ण किशोर, मा०स०वि०स०		उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में प्रतिदिन पिक आवर में 2200 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है।		स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 तक बचे हुए 17.64 लाख घरों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित कर राज्य के कुल 68 लाख घरों में बिजली पहुँचाया जाना है।		स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 68 लाख घरों में 24x7 घंटे बिजली उपलब्ध कराने हेतु 5000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।		स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड में प्रतिदिन 2200 मेगावाट बिजली की उपलब्धता के अतिरिक्त शेष 2800 मेगावाट बिजली की कमी को पूरा करने हेतु कौन सी योजना बनाना चाहती है?		झारखण्ड में प्रतिदिन 2200 मेगावाट बिजली की उपलब्धता के अतिरिक्त शेष 2800 मेगावाट बिजली की कमी को पूरा करने हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 3400 मेगावाट, एन०टी०पी०सी० नार्थकर्णपुरा से 500 मेगावाट यू०एम०पी०पी०, देवघर से 1000 मेगावाट और पवन ऊर्जा से 300 मेगावाट क्रय हेतु एकरारनामा की गई है। उपरोक्त एकरारनामा के अनुसार माह दिसम्बर 2018 से पवन ऊर्जा की 300 मेगावाट, जून 2019 से नार्थकर्णपुरा से 500 मेगावाट एवं माह दिसम्बर 2021 से पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा प्रथम चरण में 3x800 (2400) मेगावाट विद्युत उत्पादन की उपलब्धता संभावित है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 120 / दिनांक 15-01-18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/01/2018

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 18.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री सरयू राय
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लोगों के मकान पर प्रतीक चिन्ह (मार्किंग) अब तक नहीं लगाया गया है;	अन्त्योदय लाभुकों की सूची में पारदर्शिता बनाये रखने के निमित संबंधित परिवार के घर के सामने "अन्त्योदय अन्न योजना से लाभुक परिवार" की सूचना अंकित करने का निदेश सभी उपायुक्तों को दिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि प्रतीक चिन्ह लगाने से वैसे संपन्न नागरिक (अयोग्य लाभुक) जो खाद्य सुरक्षा के तहत आच्छादित है, उन्हें चिन्हित करने में सहुलियत होगी;	
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लोगों के मकान पर सूचीपट लगाने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	

ह0/–
(विनय कुमार राय),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र० 6–8 (वि०स०) 09/2018– 171 /राँची, दिनांक 17/01/18
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या 327, वि०स०, दिनांक 13.01.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।